संख्याः–439/XIV–1/2009

प्रेषक,

वीरेन्द्र पाल सिंह,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनॉक 11 जून, 2009

वषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये सहकारिता विभाग की आयोजनागत पक्ष लेखानुदान में जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 993/ नियो0/जिला योजना/ 2009–10 दिनांक 14.05.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 लेखानुदान में सहकारिता विभाग के अर्न्तगत आयोजनागत पक्ष में जिला अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जिला योजना (सामान्य) हेतु कुल रूपया 101.77 लाख रूपये (रू0 एक करोड एक लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल निम्नाकिंत शर्तो के तहत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय ।

(2) सभी कार्यकमों की वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण धनराशि के आहरण पूर्व तत्काल किया जाय तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों को वित्त, नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(3) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नही है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(5) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(6) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण सहित शासन/ महालेखाकार उत्तराखण्ड को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाय।

(7)समितियों को अनुदान/राज सहायता/अंशदान दिये जाने से पूर्व [illegible]
नियमों, मानकों/ शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

2. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या –18 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता–आयोजनागत–107–क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता, 108–अन्य सहकारी समितियों को सहायता– 800–अन्य व्यय (लघु शीर्षक 07,06,21) 4425–सहकारिता पर पूजीगंत परिव्यय–200–अन्य निवेश (लघु शीर्षक 05) के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या– 109 (P)/ XXVII–4 /2009 दिनांक 10.06.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।

संख्याः– / (1)/XIV–1/2009,तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री सहकारिता, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल,/कमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6. वित्त अनुभाग–4/ नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या 438/XIV-1/2009, दिनांक 11 जून, 2009 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु अनुश्रवण समितियों से अनुमोदित जिला सहायक निबन्धकों के स्तर से प्राप्त जिला योजना के आधार पर जिला योजना (सामान्य) हेतु लेखानुदान में उपलब्ध बजट के सापेक्ष जनपदों को स्वीकृति प्रदान करने हेतु लेखाशीर्षकवार धनराशियों का आवंटन का विवरण।

(धनराशि लाख रू0 में)

योजना/मद का नाम	नैनीताल	उ0सि0नगर	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ	चम्पावत	देहरादून	हरिद्वार	पौड़ी	टिहरी	चमोली	रूद्रप्रयाग	उत्तरकाशी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
अनुदान संख्या-18														
2425-सहकारिता-आयोजनागत 107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता 91- सह0ऋण योजना 9101- पैक्स के सचिवों के वेतन हेतु कामन कैडर को अनुदान 20- सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	1.48	0.00	7.42	0.80	9.20	5.46	2.23	0.00	10.53	3.22	6.25	5.03	10.05	61.67
9103-महिला बचत समूह गठित करने एवं प्रशिक्षण के लिये अनुदान 20- सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.08	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.79
108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता 03- सहकारी विभाग की सहकारी उप0 समितियों को सहायता 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0.16	0.08	0.51	0.00	0.16	0.02	0.38	0.27	0.17	0.00	0.00	1.19	0.29	3.26
800-अन्य व्यय 07-प्रा0सह0ऋण समि0 को हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
08-प्रा0कृषि सहकारी ऋण समितियों को निधि बैंक की स्था0 हेतु प्रबन्धकीय एवं साज-सज्जा अनुदान 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	0.13	2.23	0.67	0.00	1.06	0.37	0.00	0.80	1.33	0.67	0.37	0.40	0.80	8.83
21-सहकारी क्रय-विक्रय योजनान्तर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	3.67	0.99	10.23	0.20	1.67	3.68	2.00	0.66	0.67	0.66	0.00	0.00	4.34	28.77
योग:-	5.59	1.30	18.83	1.00	12.09	9.69	4.61	1.81	12.70	5.10	6.62	6.62	15.48	101.44
4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय 200-अन्य निवेश 05-महिला बचत समूहों को मार्जिन मनी 30- निवेश/ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
योग:-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
महायोग	5.59	1.30	18.83	1.00	12.09	10.02	4.61	1.81	12.70	5.10	6.62	6.62	15.48	101.77

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनु सचिव।